स्वास्थ्य और सुरक्षा का कानून

आपको क्या जानने की ज़रुरत है

Hindi

This is a **Hindi** language version of leaflet ISBN 978 0 7176 6501 3, published 04/09

यह स्वास्थ्य और सुरक्षा कानून के जेब में रखे जानें वाले कार्ड, जो 04/09 को प्रकाशित किया गया था, का एक वेब अनुकूल संस्करण है

सभी श्रमिकों को ऐसे स्थानों में काम करने का अधिकार है जहां उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए जोखिमों को ठीक ढंग से नियंत्रित किया जाता है। स्वास्थ्य और सुरक्षा आपको काम पर चोट लगने या काम के माध्यम से बीमार होने से रोकने के बारे में है। आपका नियोक्ता स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, लेकिन आपको मदद ज़रूर करनी चाहिए।

नियोक्ताओं को आपके लिए क्या करना चाहिए

1 तय करना की आपके काम में क्या आपको नुकसान पहुँचा सकता है और उसे रोकने के लिए सावधानियां। यह जोखिम मूल्यांकन का हिस्सा है।
2 ऐसे ढंग से, जिसे आप समझ सकें, समझाना कि जोखिम को कैसे नियंत्रित किया जाएगा और आपको बताना की इसके लिए कौन जिम्मेदार है।
3 कार्यस्थल में नुकसान से हर किसी की रक्षा करने में आप और आपके स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रतिनिधियों के साथ परामर्श और काम करना।
4 आपको निःशुल्क स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रशिक्षण देना जिसकी आपको अपना काम करने के लिए ज़रुरत है।
5 आपको निःशुल्क आपकी ज़रूरत का कोई भी उपकरण और सुरक्षात्मक कपड़े प्रदान करने, और सुनिश्चित करना की इनकी ठीक तरह से देखरेख की जाती है।
6 शौचालय, हाथ-मुँह धोने की सुविधाएं और पीने का पानी उपलब्ध कराना।
7 प्राथमिक चिकित्सा की पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करनी।
8 काम पर बड़ी चोटों और मौतों की रिपोर्ट हमारे इंसीडेंट कान्टैक्ट सैंटर (घटना संपर्क केंद्र) को **0345 300 9923** पर करनी। अन्य चोटों, रोगों और खतरनाक घटनाओं की रिपोर्ट ऑनलाइन **www.hse.gov.uk** पर करनी।
9 बीमा कराना जिसमें काम पर आपको चोट लगने या काम के माध्यम से आपके बीमार पड़ने की स्थिति में आपको शामिल किया जाए। मौजूदा बीमा प्रमाण पत्र की एक छपी हुई प्रति या इलेक्ट्रॉनिक प्रति ऐसी जगह पर प्रदर्शित करनी जहां आप इसे आसानी से पढ़ सकें।
10 कार्यस्थल का साझा उपयोग करने या कर्मचारी (जैसे कि एजेंसी श्रमिक) प्रदान करने वाले किन्हीं भी अन्य नियोक्ताओं या ठेकेदारों के साथ मिल कर काम करना, ताकि हर किसी के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा की जाए।

आपको क्या करना चाहिए

1 आपके नियोक्ता के द्वारा आपको दी गई किन्हीं भी कार्य संबंधी वस्तुओं का उपयोग करने के समय आपको प्राप्त हुए प्रशिक्षण का पालन करना।
2 अपने खुद के और अन्य लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का उचित ध्यान रखना।
3 स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में अपने नियोक्ता को सहयोग देना।
4 अगर आपको लगता है कि काम या अपर्याप्त सावधानियां किसी के भी स्वास्थ्य और सुरक्षा को गंभीर जोखिम में डाल रहे हैं तो किसी को (अपने नियोक्ता, सुपरवाइज़र, या स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रतिनिधि) बताना।

अगर कोई समस्या हो

1 यदि आप अपने कार्यस्थल में स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में चिंतित हैं, तो अपने नियोक्ता, सुपरवाइज़र, या स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रतिनिधि से बात करें।
2 काम पर स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में सामान्य जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट भी देख सकते हैं।
3 अगर, अपने नियोक्ता के साथ बात करने के बाद, आप अभी भी चिंतित हैं, तो आप स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए अपने स्थानीय प्रवर्तन प्राधिकारी और एम्प्लॉयमेंट मेडिकल अड्वाइसरी सर्विस (रोजगार चिकित्सा सलाहकार सेवा) का पता HSE की वेबसाइट **www.hse.gov.uk** के माध्यम से पा सकते हैं।

आग से सुरक्षा

आपको अग्नि सुरक्षा के बारे में सलाह फायर एंड रेस्क्यू सर्विसिज़ (आग और बचाव सेवाएं) या अपने कार्यस्थल के अग्निशमन अधिकारी से मिल सकती है।

रोजगार के अधिकार

अपने रोजगार के अधिकारों के बारे में अधिक जानकारी यहाँ से प्राप्त करें: **www.hse.gov.uk**.

अधिक जानकारी

यह पत्रिका www.hse.gov.uk/pubns/books/lawleaflet.htm पर उपलब्ध है। यह जानकारी अन्य प्रारूपों में उपलब्ध है।

© क्राउन कॉपीराइट 2009 यदि आप इस जानकारी का पुनःउपयोग करना चाहें तो विवरण के लिए www.hse.gov.uk/copyright.htm पर जाएं। पहली बार 04/09 में प्रकाशित।